राज्य आनंद संस्थान

(मध्यप्रदेश शासन, आनंद विभाग का स्वशासी संस्थान)

माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर, भोपाल

www.anandsansthanmp.in / E-mail : anandsansthan@mp.gov.in

क्रमांक- 1027 /आ.संस्थान/आ.शि./ F8 लेखा/2022 भोपाल, दिनांक 28/10/2022

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, म.प्र. शासन के समस्त विभाग
2. समस्त विभागाध्यक्ष, म.प्र.
3. समस्त संभाग आयुक्त, म.प्र.
4. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र

विषय:- आनंद शिविर के प्रशिक्षण शुल्क के भुगतान बावत ।

संदर्भ:- इस संस्थान का पत्र क्रमांक 437/आ.संस्थान/आ.शि./2017 दिनांक 16.10.2017 एवं पत्र क्रमांक 7533/आ.संस्थान/आ.शि./F8/2020 दिनांक 17.09.2020

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत आनंद विभाग म.प्र. शासन, मंत्रालय के परिपत्र क्र 151/आ.वि./बजट/17 दिनांक 21/06/17की कंडिका 03 में प्रावधान अनुसार आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान बैंगलोर, ईशा (फाउण्डेशन) योग सेंटर कोयम्बटूर, IOFC पंचगनी, पुणे (महाराष्ट्र) में आयोजित होने वाले आनंद शिविर में सम्मिलित होने वाले **शासकीय सेवकों** द्वारा रू. 500/- **पंजीयन शुल्क स्वयं वहन** किया जाता है तथा प्रशिक्षण शुल्क राशि (रू.18,000/- अथवा 20,000/-) का भुगतान कर्मचारी के संबंधित विभाग द्वारा वहन करने का उल्लेख है।

2. संदर्भित परिपत्र दिनांक 16.10.2017 की कंडिका 4 आनंद शिविर (शासकीय सेवको हेतु) उप कंडिका 4.3 के अनुसार आनंद शिविर प्रशिक्षण समाप्ति उपरांत प्रशिक्षण शुल्क राशि राज्य आनंद संस्थान द्वारा संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को भुगतान की जाती है । तत्पश्चात संबंधित शासकीय विभाग से उक्त शुल्क राशि की प्रतिपूर्ति राज्य आनंद संस्थान द्वारा प्राप्त की जाती है । इस प्रक्रिया में समय एवं श्रम का अपव्यय होने तथा संस्थान को राशि की प्रतिपूर्ति में भी काफी विलंब होने के कारण उक्त उप कंडिका 4.3 में संदर्भित परिपत्र दिनांक 17.09.2020 द्वारा संशोधन किया गया कि "आनंद शिविर में भाग लेने वाले शासकीय सेवको द्वारा पंजीयन शुल्क एवं प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान स्वयं किया जाए और प्रशिक्षण समाप्ति उपरांत केवल प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति उनके संबंधित विभाग द्वारा उन्हें की जावेगी" ।

क्रमशः.....

3. उक्त संशोधित व्यवस्था उपरांत समीक्षा में पाया गया है कि शासकीय सेवको द्वारा प्रशिक्षण शुल्क स्वयं वहन करने के उक्त जारी निर्देशो के कारण उँनके द्वारा आनंद शिविर में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन कराने में रूचि नहीं ली रही है और विगत 02 वर्षो से आनंद शिविर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी इसी कारण नहीं कराया जा सका है ।

4. अत: उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया जाता है कि भविष्य में(वित्तीय वर्ष 2022-23 से) आयोजित होने वाले आनंद शिविर में शासकीय प्रतिभागियों का प्रशिक्षण शुल्क राज्य आनंद संस्थान द्वारा अपने उपलब्ध बजट से वहन किया जायेगा। प्रशिक्षण में सम्मिलित होने के लिये पंजीयन कराना होगा, पंजीयन शुल्क मात्र रू.500/- पूर्व अनुसार शासकीय सेवक को स्वयं को वहन करना होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 11-72/2016/ 1/9 दि. 14.12.2019 एवं संशोधन पत्र क्र. एफ 11-25/2018/1/9 दि. 07.03.2019 के अनुसार शासकीय सेवकों को TA/DA की पात्रता होगी । प्रशिक्षण अवधि एवं यात्रा अवधि को " कार्य अवधि " मान्य की गई है। यात्रा व्यय आदि का भुगतान शासकीय सेवक पूर्व की भांति अपने मूल विभाग से प्राप्त करेंगे ।

5. उपरोक्त संशोधन को देखते हुए अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ विभागो के शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित / प्रोत्साहित करने का कष्ट करें । आगामी आनंद शिविर के आयोजन की जानकारी इस संस्थान की वेबसाइट **www.anandsansthanmp.in** पर शीघ्र ही जारी की जावेगी । ऊपर लिखित संदर्भित समस्त पत्र इस संस्थान की उक्त वेबसाइट पर अवलोकन हेतु उलपब्ध हैं।

28/10/22

(अखिलेश अर्गल)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राज्य आनंद संस्थान